न्यायालय तहसीलदार मांडल
पीठासीन अधिकारी, विजेन्द्र सिंह (तहसीलदार)

प्रकरण सं. 1/2013
(रिमाण्ड)

दि. 25/6/2015

: निर्णय :

(1) श्री भगवती लाल पि. देबीलाल दमामी (ढोली) नि. काशीरामजी की खेड़ी तहसील - मांडल
(2) श्रीमती भगवती देवी उर्फ भवरी देवी उर्फ भागुती देवी पुत्री देबीलाल दमामी ढोली नि. काशीरामजी खेड़ी तहसील मांडल

अपीलान्ट

बनाम - राजस्थान सरकार

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रसं./न्याया/764/2012 अपील दि. 14/1/2013 के प्रसारित निर्णय की प्रति पत्रावली प्राप्त हुई जिसमें पटवार मण्डल आलमास के ग्राम काशीरामजी की खेड़ी का नाम सं. 593 दि. 25/5/11 के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुआ कि प्रकरण में खातेदार देबीलाल पिता रामचन्द्र ढोली की मृत्यु व उसके वैधानिक वारीसान की जांच कर अजसरे नामान्तकरण कार्यवाही संस्थित कर स्वतन्त्र निर्णय पारित करें।

उपरोक्त की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित को नोटिस जारी किये गये। पक्षकारों के बयान लिये गये। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राजस्व लोक अदालत 2015 के तहत पत्रावली मु. आलमास दि. 25/6/2015 को वास्ते मजमे आम जांच हेतु रखी गई।

राजस्व लोक अदालत कैम्प मु. आलमास दि. 25/6/15 को पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों के बयान लिये गये। मजमे आम उपस्थित मौतबिरान के समक्ष ग्राम पंचायत आलमास के खातेदार देबीलाल व रामचन्द्र ढोली नि. काशीरामजी की खेड़ी की मृत्यु के बारे में व वारीसान के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच में उप. लोगों ने बताया कि खातेदार की मृत्यु

Scanned by CamScanner

करीब 32, 33 साल पहले हो चुकी है जिसका दाह-
संस्कार ग्राम काशीरामजी की खेड़ी में ही होना
बताया। तथा मृतक देबीलाल के नायन्दा दो सन्तान
जिसमें एक पुत्र भगवतीलाल व पुत्री भगवतीदेवी
उर्फ भागुती उर्फ भंवरीदेवी होना बताया। मृतक की
पत्नि की मृत्यु मृतक खातेदार के पहले ही होना
बताया।

मैंने पत्रावली का अथोपान्त अवलोकन
किया। मृतक देबीलाल व रामचन्द्र दोली नि. काशीरामजी
खेड़ी की मृत्यु होना तथा दो सन्तान भगवतीलाल (पुत्र)
तथा भगवतीदेवी उर्फ भागुती देवी पुत्री होना स्पष्ट है।

अतः ग्राम काशीरामजी खेड़ी के मृतक
खातेदार देबीलाल व रामचन्द्र दोली के खाते की भूमि
मृतक के वारीस उसके पुत्र व पुत्री क्रमशः भगवतीलाल
व भगवती देवी (भागुती) के नाम पर दर्ज की जावे।
पालना हेतु प० हु० आलमास को लिखा जावे।
निर्णय मजमें आम में सुनाया जाकर पत्रावली
क्रम से कम की जावें।

25-6-15

तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल
तहसीलदार जिला (भीलवाड़ा)